



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 ज्येष्ठ 1948 (श10)

(सं० पटना 525) पटना, वृहस्पतिवार, 22 मई 2026

सं० 1581
उद्योग विभाग

संकल्प
18 मई 2026

विषय:- मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु योजना संबंधी उद्योग विभाग का निर्गत संकल्प ज्ञापांक-4773 दिनांक-28.10.2013 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक-4773 दिनांक-28.10.2013 द्वारा निर्गत "मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) की स्थापना हेतु योजना" में निम्न प्रकार से संशोधन किया गया है:-

1. योजना का नाम "मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग कलस्टर विकास योजना" होगा।
2. योजना की स्वीकृति, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु उप कंडिका-4.3 में गठित राज्य स्तरीय समिति का पुनर्गठन इस प्रकार से किया गया है-

(i)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग	—	अध्यक्ष
(ii)	प्रबंध निदेशक, बियाडा	—	सदस्य
(iii)	उद्योग निदेशक, बिहार, पटना	—	सदस्य
(iv)	निदेशक, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम निदेशालय	—	सदस्य सचिव
(v)	निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय	—	सदस्य
(vi)	निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय	—	सदस्य
(vii)	संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी, वित्त विभाग	—	सदस्य
(viii)	निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास संस्थान	—	सदस्य
(ix)	आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित सदस्य	—	सदस्य

3. योजना की उप कंडिका-4.4 के पश्चात उप कंडिका-4.4(क) निम्न प्रकार से जोड़ा गया है—
उप कंडिका-4.4 (क)— बियाडा के औद्योगिक क्षेत्र में “सामान्य सुविधा केन्द्र” की स्थापना के मामले में—
- (i) बियाडा को विशेष उपक्रम (SPV) नामित किया जाता है। बियाडा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमावली निदेशक पक्ष के अनुमोदन उपरांत निर्गत कर सकेगी।
 - (ii) सभी राशि की परियोजना लागत संबंधी आवेदन प्रबंध निदेशक, बियाडा के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति को अग्रसारित किया जाएगा।
 - (iii) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) का निर्माण एवं आवश्यकतानुसार PMA का चयन निविदा के माध्यम से बियाडा द्वारा किया जाएगा। DPR के अनुमादेन के उपरांत CFC के कार्यान्वयन एवं योजना अंतर्गत SPV को विमुक्त की जाने वाली राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) का समय-समय पर अनुश्रवण राज्य स्तरीय समिति के द्वारा किया जाएगा।
4. इस पर दिनांक-13.05.2026 की मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या-10 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
कुन्दन कुमार,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 525-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>